

From,

Sri R.C.Upadhyaya
Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Regd/23

To,

36 The District Judge,
Varanasi
No. 20562 /IV-2529/Admn (A) Dated: Allahabad: 3/12/88

Subject:-Grant of Motor Car advance to sri Ashok Kumar Yadav,
Addl. Civil Judge (Jr. Div), Varanasi.

sir,

With reference to your letter/endorsement No.
1382/I dated 2.11.88 on the above subject, I am
directed to say that application of sri Ashok Kn. yadav, Addl.
(Jr. Div), Varanasi
Civil Judge has been registered for grant of the above advance
and it shall be considered, on the basis of 'First come first
served'. At present, no amount is available with the Court for
the purpose. In the meantime the officer may be asked to furnish
details of the motor car intended to be purchased and in case
he has to purchase the car from a private party, as and when
the advance is sanctioned to him he should obtain Court's
prior permission for the same, so that the amount of advance
may be utilised by him within the stipulated period.

Yours faithfully,

Dy. JOINT REGISTRAR.

Verma/-

D.R.(M)

May issue?
Dr. Taiswal
27.11.88

82 Ad H
Issue. Dy
27/11

Rkumar
27/11/88

1924

Reg No. १९२४

File No. ८१/२५२९

Serial No. ३५

23.11.98

प्रेषक,

Reg No.

20/11/98

आशोक कुमार यादव,
द्वितीय अपर सिविल जजू.जू.डि.१,
वाराणसी।

सेवा में,

माननीय निबन्धाक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

23.11.98

D.R.(M)
May, if affomed, his appl.
may be registered at fl.
No. 513 on the date of
25.11.98 in the relevant
register & the officer
may be informed?

Mr. Justice
25.11.98

S.O. Admn. A-1/H

1329
S.O. Admn. A-1/H

D.R.(M)

19.11.98

द्वारा,

विषय:-

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित मोटर कार
अग्रिम स्वीकृति हेतु आवेदन - पत्र तीन प्रतियों में आक्रमक
कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

आपसे अनुरोध है कि आक्रमक कार्यवाही
के उपरान्त यथाशान्ति मोटर कार की स्वीकृति दिलाने
की कृपा की जाय।

"सम्मान सहित"

भवदीय,

Ashok Kumar Yadav
23.11.98

आशोक कुमार यादव
द्वितीय अपर सिविल जजू.जू.डि.१,
वाराणसी।

दि :- 31.10.98 ई.,

संलग्नक:-

वाराणसी बाजार

1382/1

अग्रसारित

दिनांक 2-11-98

वित्त भावांकीक
वाराणसी।

(4)

S.O. Admn (A)

18 NOV 1998

~~मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल~~ छारीदने के लिए अग्रिम धनराशि का स्वीकृतिः देतु प्राथमिकपत्रः-

1:- प्राथमिक का पूरा नाम व पदनामः- आओक कुमार यादव, द्वितीय अपर सिविल जज् जू.डि.वाराणसी /सिक्योरिटी वाला फार्म/ पर सकाम अधिकारी/ कर्मचारी को दिखाना चाहिए।

3:- अग्रिम की धनराशि:-

4:- प्राथमिकी की मासिक मूल वेतनः-

5:- प्राथमिकी की निर्वतन की तिथिः-

6:- प्राथमिकी की जन्म तिथिः-

7:- विभाग में नियुक्त की तिथिः-

8:- जामिन का नाम व पूरा पता:-

9:- जामिन की निर्वतन तिथिः-

10:- क्या स्थाई कर्मचारी आत्मज पर लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय में अनुमोदित हैः-
जी हाँ।

11:- यदि कोई वाहन अग्रिम धनराशि लिया हो तो उसका विवरणः-

प्रथम अग्रिम

अ० स्वीकृत आदेश की संख्या तथा तिथिः-

ब० स्वीकृति धनराशि:-

प० तिथि जब उसका पूरा भुगतान व्याज सहित हो जायेगा:- मार्च 1997 में हो गया।

स्थाई

1,50,000 रुपये लाख पवास हजार रुपयों मात्र।
9100 नौ हजार एक सौ रुपयों मात्र।

1.1.2022

1.1.1964

10.4.1992

प्रभावी नहीं है।

प्रभावी नहीं है।

अस्तित्वात्मक

1117/11/11,20.11.92

13000=00

11 स्वीकृत आदेश की संख्या व तिथिः-

12 स्वीकृति धन

13 तिथि व उसके भुगतान होने की संभावना है

14 क्या प्राथमिक नई गाड़ी छारीदना वाहता है, यदि हाँ तो गाड़ी कब तक मिलने की संभावना हैः-
अग्रिम मिलने के लगभग एक माह बाद।

अथवा

प्राथमिक पुरानी गाड़ी छारीदना वाहता है तो उसका पूरा पूरा सबूत कि अग्रिम मिलने के एक माह बाद उसका उपभोग हो जायेगा साथ ही जो पुराना वाहन छारीद रहा है, उसका अभिष्ठ बीमा प्रक्रिया है अथवा नहीं यह स्पष्ट किया जाय। प्राथमिक नई वाहन छारीदना वाहता है।
संबंधित राज्य कर्मचारी/ अधिकारी ने पुरानी गाड़ी छारीदने के लिए गवर्नमेंट रूपस के अनुसार सकाम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ तो अनुमति की एक प्रति संलग्न की जायः-

नई कार छारीदना है।

~~मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटरकार का आकलनः-~~

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने ~~मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटर~~ कार छारीदने हेतु अग्रिम धन स्वीकृति की शर्तों के अनुसार गाड़ी का बीमा एवं रेहननामें निश्चय अवधि के अन्दर जैसा नियम में गया है, नहीं करता हूँ तो पूरा धनराशि एक ही बार में व्याज सहित वापस कर दूगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि किसी परिस्थितियों में सम्य से पूर्व अथवा समय पर रुक्त कर दिया जाये तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से स्वीकृति शोषणा को मुझे क्षमता दे।

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 31.10.98 को मेरे बच्चों की संख्या 2 है।

:- 31.10.98 ई.,

Akhilesh Kumar Yadava

31/10/98

आओक कुमार यादव

द्वितीय अपर सिविल जज,

जू.डि.वाराणसी।

गणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाए ठीक है।

गणित किया जाता है कि कालम 2, 4, 10 के सामने दी गई सूचनाए ठीक है।

- 31.10.98 ई.,

Akhilesh Kumar Yadava

31/10/98

आओक कुमार यादव

द्वितीय अपर सिविल जज,

जू.डि.वाराणसी।

टर कार/स्कूटर साइकिल भारीदने के लिए बंग्रुम धनराशि का स्वीकृतः हेतु प्रार्थनापत्रः-

- प्रार्थी का पूरा नाम व पदनामः - आओक कुमार यादव, द्वितीय अर सिविल जबूचू.डॉ.वाराणसी।
- स्थाई वधवा वस्थाई, यदि प्रार्थी वस्थाई कर्मारी है तो उसको वस्थाई कर्मारियों का जमाना/सिक्षोरिटी वाला फर्म/पर सकाम बधिकारी/कर्मारी को दिखाना चाहिए।

स्थाई

1,50,000 एक लाख पचास हजार रुपया मात्र।

✓ 9,100 नौ हजार एक सौ रुपया मात्र।

1.1.2022

1.1.1964

10.4.1992

पुभावी नहीं है।

पुभावी नहीं है।

0:- क्या स्थाई कर्मारी बा.र्ज पर लोक सेवा बायोग भारा विभागीय में जन्मोदित है:-
जी हाँ।

1:- यदि कोई वाहन बंग्रुम धनराशि किया हो तो उसका विवरणः-

प्रथम बंग्रुम

ब) स्वीकृत बालेन की संख्या तथा तिथिः - 1117/1111/11.20.11.92

ब) स्वीकृत धनराशि:- 13000=00

स) तिथि जब उसका पूरा भुगतान व्याच सहित हो जायेगा:- मार्च 1997 में हो गया।

द्वितीय बंग्रुम

(ब) स्वीकृत बालेन की संख्या व तिथिः - *

(ब) स्वीकृत धन *

(स) तिथि व उसके भुगतान होने की संभावनाहै *

12:- क्या प्रार्थी नई गाड़ी भारीदना चाहता है, यदि हाँ तो गाड़ी क्या तक मिलने की संभावना है:-
बंग्रुम मिलने के लगभग एक माह बाद।

वधवा

यदि प्रार्थी पुरानी गाड़ी भारीदना चाहता है तो उसका पूरा पूरा सबूत कि बंग्रुम मिलने के एक माह के बन्दर उसका उपभोग हो जायेगा साथ ही जो पुराना वाहन भारीद रहा है, उसका बम्बिट बीमा हो सकता है वधवा नहीं वह स्पष्ट किया जाय। प्रार्थी नई वाहन भारीदना चाहता है।

13:- संबंधित राज्य कर्मारी/बधिकारी ने पुरानी गाड़ी भारीदने के लिए गवर्नमेंट ब्स के अनुसार सकाम बधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ तो अनुमति की एक पुस्ति संलग्न की जायः-
नई कार भारीदना है।

14:- मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटरकार का बाबनः-

ब) मैं यह भी छाड़ाना करता हूँ कि मैंने मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटर कार भारीदने हेतु बंग्रुम धन स्वीकृति की शर्तों के कुमार गाड़ी का बीमा एवं रेहननामें निश्चिय बधिकारी के बन्दर जैसा नियम में दिया गया है, नहीं करता हूँ तो पूरा धनराशि एक ही बार में व्याच सहित वापस कर दूगा।

ब) मैं यह भी छाड़ाना करता हूँ कि यदि किसी परिस्थितियों में समय से पूर्व वधवा समय पर बेवा मुक्त कर दिया जाये तो रास्ते को यह बधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से स्वीकृत रौप्य धनराशि को मुक्त बना दे।

ब) मैं यह भी पुमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 31.10.98 को मेरे बच्चों की संख्या 2 है।

दिनांकः - 31.10.98 ई.

Ashok Kumar Yadav 31/10/98

आओक कुमार यादव

द्वितीय अर सिविल जब,

जू.डॉ.वाराणसी।

15:- पुमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं ठीक हैं।

16:- पुमाणित किया जाता है कि काल्प 2,4,10 के सामने दी गई सूचनाएं ठीक हैं।

दिनांकः - 31.10.98 ई.

Ashok Kumar Yadav 31/10/98

आओक कुमार यादव

द्वितीय अर सिविल जब,

जू.डॉ.वाराणसी।

टीटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल छारीदने के लिए अग्रिम धानराशि का स्वीकृतिः हेतु प्रार्थनापत्रः-

:- प्रार्थी का पूरा नाम व पदनामः- आशोक कुमार यादव, द्वितीय अपर सिविल जज् जू.डॉ.वाराणसी
:- स्थाई अथवा अस्थाई, मिमिद प्रार्थी अस्थाई कर्मचारी है तो उसको अस्थाई कर्मचारियों का जमान
/सिक्योरिटी वाला फार्म/पर सकाम अधिकारी/कर्मचारी को दिखाना चाहिए।

स्थाई

✓ 1: 50,000 एक लाख पवास हजार रुपया मात्र।

✓ 6/100 नौ हजार एक सौ रुपया मात्र।

1.1.2022

1.1.1964

10.4.1992

प्रभावी नहीं है।

प्रभावी नहीं है।

0:- क्या स्थाई कर्मचारी आत्म पर लोक सेवा जायेग द्वारा विभागीय मैं अनुमोदित हैः-
जी हा।

11:- यदि कोई वाहन अग्रिम धानराशि लिया हो तो उसका विवरणः-

प्रथम अग्रिम

अब स्वीकृत आदेश की संख्या तथा तिथिः- 1117/1118 / 11.20.11.92

ब अब स्वीकृति धानराशि:- 13000=00

स तिथि जब उसका पूरा भुगतान व्याज सहित हो जायेगा:- मार्च 1997 में हो गया।

द्वितीय अग्रिम

अब स्वीकृति आदेश की संख्या व तिथिः-

ब अब स्वीकृति धान

स तिथि व उसके भुगतान होने की संभावना है

12:- क्या प्रार्थी नई गाड़ी छारीदना चाहता है, यदि हा तो गाड़ी कब तक मिलने की संभावना है:-
अग्रिम मिलने के लगभग एक माह बाद।

बधावा

यदि प्रार्थी पुरानी गाड़ी छारीदना चाहता है तो उसका पूरा पूरा सबूत कि अग्रिम मिलने के एक माह के अन्दर उसका उपभोग हो जायेगा साथ ही जो पुराना वाहन छारीद रहा है, उसका अभिष्ठ बीमा हो सकता है बधावा नहीं यह स्पष्ट किया जाय। प्रार्थी नई वाहन छारीदना चाहता है।

13:- संबंधित राज्य कर्मचारी/अधिकारी ने पुरानी गाड़ी छारीदने के लिए गवर्नमेंट रूप्स के अनुसार सकाम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, यदि हा तो अनुमति की एक प्रति संलग्न की जाय:-
नई कार छारीदना है।

14:- मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटरकार का वाक्लनः-

अब मैं यह भी धारणा करता हूँ कि मैंने मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटर कार छारीदने हेतु अग्रिम धान स्वीकृति की शर्तों के अनुसार गाड़ी का बीमा एवं रेहननामें निश्चय अवधि के अन्दर जैसा नियम में दिया गया है, नहीं करता हूँ तो पूरा धानराशि एक ही बार में व्याज सहित वापस कर दूगा।

छांग मैं यह भी धारणा करता हूँ कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में समय से पूर्व बधावा समय पर सेवा मुक्त कर दिया जाऊँ तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से स्वीकृति शोषण धानराशि को मुक्त बना दे।

गुग मैं यह भी पुमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 31.10.98 को मेरे बच्चों की संख्या 2 है।

दिनांक:- 31.10.98 ई०,

Abhok Kumar Yadava 31/10/98

आशोक कुमार यादव

द्वितीय अपर सिविल जज्

जू.डॉ.वाराणसी।

15:- पुमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाए ठीक है।

2:- पुमाणित किया जाता है कि कालम 2, 4, 10 के सामने दी गई सूचनाए ठीक है।

दिनांक:- 31.10.98 ई०,

Abhok Kumar Yadava 31/10/98

आशोक कुमार यादव

द्वितीय अपर सिविल जज्

जू.डॉ.वाराणसी।